

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेड़ा तहसील बनेड़ा  
पीठासीन अधिकारी – श्री रामचन्द्र मीणा  
(आर.ए.एस.)

प्र०स० – 53/2016

उनवान

1. ताज मोहम्मद खां पिता उगरावराज खां कायमखानी निवासी साकरियाखेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा \_\_\_\_\_ ( प्रार्थी )

बनाम

- 1 इस्लाम खां पिता नूर मोहम्मद खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 2 अहमदनूर खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 3 हेदर खां पिता मोती खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 4 नवाब खां पिता जबर्दी खां कायमखानी निवासी लाम्बिया स्टेशन तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
- 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा \_\_\_\_\_ ( अप्रार्थीगण )

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 14.07.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 14.07.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम लाम्बियाकंला पटवार क्षेत्र लाम्बियाकंला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 261 के आ०न० 577 कुल किता 01 कुल रकबा 13-15 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बनेड़ा मे दिनांक 14.07.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम लाम्बियाकंला पटवार क्षेत्र लाम्बियाकंला भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 261 के आ०न० 577 कुल किता 01 कुल रकबा 13-15 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू०अ०नि० की कमिश्नर फीस 1400/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प बनेड़ा मे सरे इजलास सुनाया गया।

  
(रामचन्द्र मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा